D(m) & AC(m) (1)

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 31] नई दिल्ली, अगस्त 6—अगस्त 12, 2017, शनिवार/श्रावण 15— श्रावण 21, 1939

No. 311 NEW DELHI, AUGUST 6—AUGUST 12, 2017, SATURDAY/SRAVANA 15— SRAVANA 21, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be N e d as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory ul (Including Orders, Bye-la ws etc. of a general character) issued t th Ministries of the Government of d (other the Ministry f Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 247.—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949, (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप-कमांडेंट (अनुसचिवीय) तथा सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय) के पदों की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप-कमांडेंट (अनुसचिवीय) तथा सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय) पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **पद - संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3 **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संम्बंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति. -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा श्रेणी शेप-1 में हैं, वे इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के पात्र होंगे।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा अचयन पद हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप कमांडेंट (अनुसचिवीय)।	48* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय योद्धक।	स्तर – 11 (रु. 67700-208700)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विनिर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगी	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की विधि पद्धति अथवा पदोन्नति द्वारा अर्थात् पदोन्नति द्वारा अर्थात् प्रतिनियुक्ति/आमेलन तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति से भर्ती होने अर्थात् पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन की दशा में वे ग्रेड जिनसे यह पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया गया है
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	ऐसे सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 10 (56100 – 177500 रु.) की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है परन्तु चिकित्सा श्रेणी शेप -1 और महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा यथाविहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण समय-समय पर पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे के अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी क्या संरचना है	भर्ती करने के लिए, किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य 3. उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य 4. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय)	318* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय योद्धक	स्तर – 10 (रु. 56100 - 177500)	चयन।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	ऐसे निरीक्षक (अनुसचिवीय) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (रु. 44900 - 142400) में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो और उनकी चिकित्सा श्रेणी शेप-1 हो तथा महानिदेशक, के.रि.पु. बल द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया प्रोन्नति पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे के अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य 3. उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य 4. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (परीवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर पुष्टि के लिए) में निम्न होंगे:—** 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य 3. उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य 4. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. आर. IX-1/2017-अनु.-डीए-3]

आर. बी. एस. नेगी, उप सचिव (कार्मिक)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 3rd August, 2017

G.S.R. 247.— In exercise of the powers conferred by section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Commandant (Ministerial) and Assistant Commandant (Ministerial), in the Central Reserve Police Force, in the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Deputy Commandant (Ministerial) and Assistant Commandant (Ministerial), Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—**The number of the posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Medical Fitness.**—Notwithstanding any thing contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Deputy Commandant (Ministerial).	48* (2017) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Ministerial Combatised.	Level-11 (Rs. 67700-208700)	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By promotion	Assistant Commandant (Ministerial) in Level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix with five years regular service in the grade subject to fulfillment of medical category SHAPE-I and should have undergone promotional course or training as prescribed by Director General, Central Reserve Police Force from time to time. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors in the respective grade would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union public service commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :— 1. Director General or Additional Director General, Central Reserve Police Force - Chairman 2. Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 3. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Assistant Commandant (Ministerial).	318* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Ministerial Combatised.	Level-10 (Rs. 56100-177500).	Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years

(10)	(11)
By promotion	Inspector (Ministerial) with three years regular service in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix subject to fulfilment of medical category SHAPE-I and should have undergone promotional course or training as prescribed by Director General, Central Reserve Police Force from time to time. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors in the respective grade would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :— 1. Director General or Additional Director General, Central Reserve Police Force -Chairman 2. Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 3. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for confirmation on completion of probation period) consisting of :—** 1. Director General or Additional Director General, Central Reserve Police Force -Chairman 2. Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 3. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member	Not applicable

[F. No. R. IX.1/2017-Min-DA-3]

R. B. S. NEGI, Dy. Secy. (Pers.)